

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

—00—

// अधिसूचना //

क्रमांक एफ 20-83/2015/11/(6)

नया रायपुर, दिनांक 28/09/15

राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित "तकनीकी पेटेन्ट अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु दिनांक 01 नवम्बर 2014 से प्रभावी "छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2014" निम्नानुसार लागू करता है :-

1- परिचय :-

राज्य में औद्योगिक इकाईयों को उनके "पेटेन्ट" व "बौद्धिक" संपदा' के अधिकारों के प्रति जागरूक करने व पेटेन्ट पंजीकृत कराने के उद्देश्य से राज्य में तकनीकी पेटेन्ट अनुदान योजना लागू थी । औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत इस योजना में "अनुसंधान" को भी सम्मिलित किया गया है ।

2- परिभाषाएं :-

इस योजना के अन्तर्गत नवीन उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, सामान्य वर्ग, अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक/विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले उद्यमी/निर्यातक उद्योग, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमी, निःशक्त उद्यमी, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारी तथा राज्य के मूल निवासी एवं इस अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अन्य परिभाषाएं, वही होगी जो औद्योगिक नीति 2014-19 के "परिशिष्ट-1" पर दी गयी है ।

3- नियम :-

"तकनीकी पेटेन्ट अनुदान योजना को क्रियान्वित करने के लिये बनाये गये नियम "छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2014" कहे जावेंगे ।

4- पात्रता :-

(1) औद्योगिक नीति 2014-19 की कालावधि दिनांक 01.11.2014 से 31.10.2019 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले (उपाबंध-2 में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर) समस्त नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को उनके द्वारा उनके उत्पाद/उत्पादन प्रक्रिया के पेटेन्ट पंजीकृत कराने के उपरांत या स्वयं कराये गये अनुसंधान के आधार पर स्वीकृत पेटेन्ट/अनुसंधान पर अनुदान की पात्रता होगी ।

(2) औद्योगिक इकाईयों को पेटेन्ट स्वीकृति के दिनांक/अनुसंधान स्वीकृति हो जाने का दिनांक या अधिसूचना जारी होने के दिनांक/जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष की कालावधि के भीतर आवेदन करना होगा ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिसूचना के अधीन तकनीकी पेटेन्ट अनुदान हेतु आवेदन किसी भी परिस्थिति में औद्योगिक नीति की समयावधि की समाप्ति/नीति की बढ़ाई गई अवधि के पश्चात स्वीकार नहीं होंगे । यदि किसी इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से एक वर्ष की अवधि की समयावधि औद्योगिक नीति की समाप्ति/नीति की बढ़ाई गई अवधि के पश्चात आती है, तो संबंधित इकाई के लिए आवेदन की अंतिम तिथि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से एक वर्ष मानी जावेगी ।

(3) उद्योग में पेटेन्ट पंजीयन स्वीकृति हाने के दिनांक/अनुसंधान स्वीकृति होने के दिनांक या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चात्वर्ती हो, से न्यूनतम 05 वर्ष तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम 33 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(4) औद्योगिक इकाई के द्वारा यदि भारत शासन उद्योग मंत्रालय, अन्य मंत्रालय/राज्य शासन के किसी विभाग/एजेन्सी/वित्तीय संस्थाओं के पेटेन्ट स्वीकृति पर/अनुसंधान स्वीकृति पर अनुदान प्राप्त किया हो तो उन्हें भी अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

(5) भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय/अन्य मंत्रालयों/पंजीकृत पेटेन्ट हाउस/अनुसंधान केन्द्रों से पेटेन्ट/अनुसंधान पंजीकृत कराने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(6) औद्योगिक इकाई को प्रति उत्पाद/प्रक्रिया/शोध पर केवल एक बार ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(7) विकसित उत्पाद/प्रक्रिया जिसका पेटेन्ट कराया गया है या "अनुसंधान" स्वीकृत हुआ है, का वाणिज्यिक उत्पादन/उपयोग औद्योगिक इकाई द्वारा ही किया जाना आवश्यक होगा ।

(8) जिन सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों ने नियम दिनांक 01.11.2014 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु वैध ई.एम.पार्ट-1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेन्स धारित किया हो अथवा राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं एमओयू जीवित हो किंतु औद्योगिक नीति 2009-14 की कालावधि समाप्त होने के दिनांक 31 अक्टूबर 2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हें औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत (औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-2 में दर्शाये गये अनुसार उद्योग न होने पर) इस अधिसूचना के अधीन राज्य शासन द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत करने एवं ग्राह्य होने पर अनुदान की पात्रता होगी ।

5- प्रक्रिया व अधिकार :-

5.1- पात्र औद्योगिक इकाईयों को "उपाबंध-1" अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति "उपाबंध-4" में निर्धारित प्रारूप पर दी जावेगी जिसमें आवेदन के पंजीयन क्रमांक का भी उल्लेख होगा। अपूर्ण आवेदन एक बार में ही कमियां बताते हुए वापिस किये जावेगे एवं प्रकरण पूर्ण होने के उपरांत आवेदन पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति दी जावेगी ।

- (1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट-1/आई0ई0एम0/औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र
- (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र ।
- (3) "उपाबंध-3" में निर्धारित प्रारूप पर व्यय से संबंधित चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण पत्र ।
- (4) तकनीकी पेटेन्ट/अनुसंधान स्वीकृति से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति ।
- (5) निवेशक वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत उद्यमियों से संबंधित प्रमाण पत्र ।

5.2- पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत प्रारंभ करने के उपरांत ई0एम0 पार्ट-2, वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र एवं तकनीकी पेटेन्ट/अनुसंधान से संबंधित/ स्वीकृति प्रमाण पत्र होने के पश्चात संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा । पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा "उपाबंध-4" में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति दी जावेगी ।

5.3- मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में प्रस्तुत स्वत्व का परीक्षण "उपाबंध 5" के अनुसार सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से कराकर "स्वत्व" के नियमों के अधीन होने पर "उपाबंध 6" में निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का स्वत्व नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के "निरस्तीकरण" का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति अपीलीय अधिकारी को निर्धारित अवधि के 45 दिवसों में अपील करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख होगा ।

5.4- तकनीकी पेटेन्ट/अनुसंधान से संबंधित अनुदान स्वीकृति पश्चात उद्योग संचालनालय द्वारा तकनीकी पेटेंट अनुदान के बजट का आबंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा ।

5.5- जिला व्यापार एवं उद्योगकेन्द्र द्वारा बजट आबंटन उपलब्ध होने पर ही औद्योगिक इकाई को स्वीकृति अनुदान की राशि वितरित की जावेगी । अनुदान का वितरण "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के कम में किया जावेगा ।

5.6- बजट आबंटन उपलब्ध होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सीधे औद्योगिक इकाई के खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी.एस. (रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट) पद्धति अथवा तत्समय इकाई के खाते में सीधे अनुदान जमा करने की पद्धति अनुसार प्रेषित की जावेगी जिसे संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के खाते में जमा करना होगा । अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी ।

5.7- बजट आबंटन के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा ।

5.8- तकनीकी पेटेंट/अनुसंधान का आबंटन अग्रिम रूप से भी किया जा सकेगा ।

5.9- राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार का सत्यापन प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा-रा/2005/9766-81 दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार की जावेगी ।

6- अनुदान की मात्रा -

6.1 औद्योगिक इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय नियमों कानूनों के अंतर्गत अपने शोध कार्य/अविष्कार पर पेटेंट पंजीकरण/स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् या अनुसंधान स्वीकृति होने के उपरांत सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा किये गये व्यय का 50 प्रतिशत, अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले उद्यमी को व्यय का 50 प्रतिशत एवं निःशक्त/महिला उद्यमी/सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तियों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी।

अनुदान की अधिकतम सीमा सामान्य वर्ग के उद्यमियों हेतु रू. 5.00 लाख, अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले उद्यमी निवेशकों हेतु 5.25 लाख एवं निःशक्त/महिला उद्यमी/भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तियों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को 5.50 लाख होगी।

6.2 औद्योगिक नीति 2014-19 की कंडिका 15.20 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में नवीन भू-आबंटन प्राप्त करने वाले उद्योगों को उपरोक्त से 10 प्रतिशत अधिक दर से अनुदान प्राप्त होगा व अनुदान की सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी।

6.3 पेटेंट पंजीकरण/अनुसंधान प्राप्त करने में हुये व्ययों में सम्मिलित है- आवेदन शुल्क/अंकेक्षण शुल्क/पेटेंट शुल्क/लायसेंस शुल्क, प्रशिक्षण व्यय, तकनीकी कंसल्टेन्सी व्यय, पंजीकृत एजेंट को भुगतान किया गया कमीशन और पेटेन्ट कराये गये उत्पाद के अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित यंत्र एवं साज-सज्जा पर हुआ व्यय एवं अन्य व्यय (यात्रा व्यय, होटल व्यय, टेलीफोन, मोबाईल व पत्राचार व्यय) का समावेश पात्र व्ययों की गणना में नहीं किया जावेगा।

7- अनुदान की वसूली-

7.1 तकनीकी पेटेंट अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के स्वीकृत-वितरण पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक सधारण ब्याज की दर से की जा सकेगी।

7.2 उपरोक्तानुसार वसूली राशि भू-राजस्व के बकाया की वसूली के समान की जा सकेगी।

7.3 स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सके एवं यदि अनुदान की राशि वित्तीय संस्था/बैंक/इकाई को भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकें।

7.4 औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त कंडिका क्रमांक 4(3) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि से संबंधित स्वत्व को निरस्त कर वापस प्राप्त की जा सकेगी, भविष्य के क्लेमों में समायोजित की जा सकेगी।

- 7.5 यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत निवेशक से वर्ग से संबंधित प्रमाण-पत्र/तथ्य गलत पाये जाते हैं तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई आधिक्य अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी ।
- 7.6 उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा योजना से संबंधित या कोई जानकारी/अभिलेख मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये ।
- 7.7 यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो ।
- 7.8 उपर्युक्त बिन्दु 7.1 से 7.7 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये जाएंगे ।

8- अपील/वाद :-

- 8.1 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी ।
- 8.2 अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील अर्थात् द्वितीय अपील (मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित मूल आदेशों के संबंध में) राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी ।
- 8.3 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000 एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रूपये 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी। अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा ।
- 8.4 अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तिओं के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा ।
- 8.5 अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा । अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

9. अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व:-

- (1) औद्योगिक इकाई को अनुदान की प्राप्ति के पश्चात न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा ।
- (2) उपरोक्त (1) की अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क. 4(3) में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा ।

10. कार्यकारी निर्देश :-

अधिसूचना के अंतर्गत आवश्यक कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे। अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा मार्गदर्शन दिया जायेगा ।

11. स्वप्रेरणा से निर्णय :-

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे/स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

12. फेसिलिटेशन काउंसिल :-

औद्योगिक इकाईयों को पेटेन्ट व बौद्धिक संपदा के अधिकारों के प्रति जागरूकता, राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेन्ट के संबंध में हो रहे कार्यकलाप, व वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी0एस0आई0आर0) टेक्नोलॉजी इनफॉर्मेशन फोरकॉस्टिंग एण्ड असिस्मेंट काउंसिल से सतत सम्पर्क में रहकर पेटेन्ट पंजीयन का प्रोत्साहित करने तथा राज्य में स्थापित उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उद्योग संचालनालय में एक "फेसिलिटेशन काउंसिल" भी होगी ।

फेसिलिटेशन काउंसिल में तकनीकी पेटेन्ट/बौद्धिक संपत्ति अधिकार/अनुसंधान आदि के संबंध में पूर्ण साहित्य तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेन्ट/बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार इत्यादि पर हो रहे परिवर्तनों की जानकारी रखी जावेगी। काउंसिल की बैठक सामान्यतः 6 माह में एक बार होगी व फेसिलिटेशन सेल संबंधी व्यय सी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा वहन किया जावेगा ।

फेसिलिटेशन सेल का स्वरूप निम्नानुसार होगा-

- | | |
|---|------------|
| 1. उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय | अध्यक्ष |
| 2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्ह0 कार्पो0 लि0 | सदस्य |
| 3. संचालक, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम संस्थान या उनके नामांकित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के नामांकित वैज्ञानिक/यंत्री | सदस्य |
| 7. छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ द्वारा नामांकित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 8. छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ द्वारा नामांकित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 9. लघु उद्योग भारती द्वारा नामांकित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 10. अपर संचालक/संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय | सदस्य सचिव |
13. नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
14. इस योजना के अंतर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।
15. योजना का कियान्वयन :-

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(श्रीमति शारदा वर्मा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

(नियम 5.1)

("छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2014" के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र)

- 1- औद्योगिक इकाई का नाम व पता -
- 2- निवेशक का वर्ग -
- 3- फैक्ट्री स्थल -
स्थान -
विकास खंड -
जिला -
- 4- औद्योगिक इकाई का संगठन-
- 5- उद्यमी का वर्ग-
- 6- ई0एम0पार्ट-1 एवं ई0एम0पार्ट-2 कमांक
- 7- वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक-
6.1 उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता एवं
6.2 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक -
6.3 स्थायी पूंजी निवेश (रु. लाखों में) -
- 8- पेटेन्ट प्राप्ति करने का विवरण/अनुसंधान स्वीकृति का विवरण -
- 9- पेटेन्ट/अनुसंधान पर किया गया व्यय-
- 10- क्लेम राशि -
- 11- रोजगार-

श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4
अकुशल वर्ग अ			
ब			
स			
कुशल वर्ग अ			
ब			
स			
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग अ			
ब			
स			
योग			

स्थान :
दिनांक:

P

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

- संलग्न:- (1) ई.एम. पार्ट-1
(2) ई.एम. पार्ट-2
(3) वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र
(4) पेटेन्ट/अनुसंधान से संबंधित प्रमाण पत्र
(5) निवेशक के वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र।

औद्योगिक नीति 2014-19 का परिशिष्ट-2
(संतृप्त उद्योगों की सूची जिन्हें अनुदान की पात्रता नहीं है)

- (1) पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग
- (2) एल्कोहल, डिस्टिलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस
- (3) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग
- (4) आरा मिल (साँ मिल)
- (5) लेदर टैनरी
- (6) स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना)
- (7) किसी भी उत्पाद की रि-पैकिंग
- (8) मिनरल वाटर
- (9) पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)
- (10) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)
- (11) चूना निर्माण, चूना पाउडर, चूना चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर
- (12) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग/ग्राईडिंग/पलवराइजिंग
- (13) स्टोन क्रेशर/ गिट्टी निर्माण
- (14) स्पंज आयरन
- (15) क्लिंकर
- (16) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जाये।

(ब) औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में संतृप्त उद्योगों की सूची -

- (1) राईस मिल, पेडी परबायलिंग एवं मेकेनाइज्ड क्लीनिंग
- (2) हालर मिल
- (3) मुरमुरा मिल
- (4) राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट
- (5) खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई)/रिफाईनरी
- (6) मिनी सीमेंट प्लांट
- (7) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

टीप - संतृप्त श्रेणी का उद्योग किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में संपूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से संतृप्त श्रेणी के उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

२

[नियम 5.1 (3)] ✓

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण-पत्र)
(लेटर हैड पर मूल प्रति में)

1- औद्योगिक इकाई जिसका पंजीकृत पता है व फ़ैक्ट्री में स्थित है, जिसका ई0एम0पार्ट-1 क्रमांक दिनांक एवं ई0एम0पार्ट-2 प्रमाण पत्र क्रमांक दिनांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक है, ने पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण पत्र/पेटेन्ट स्वीकृति प्रमाण पत्र क्रमांक दिनांक प्राप्त किया है, जिस पर दिनांक तक किया गया व्यय रूपये (अक्षरों में) है निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है:-

क्र0	विवरण पेटेन्ट पंजीयन/अनुसंधान पर किया गया व्यय	पेटेन्ट पंजीयन/अनुसंधान विभाग/पेटेन्ट एजेन्ट जिसे भुगतान किया गया है	व्यय राशि	भुगतान राशि
1.	2.	3.	4.	5.
1	आवेदन शुल्क			
2	अंकेषण शुल्क			
3	लायसेंस शुल्क			
4	प्रशिक्षण व्यय			
5	तकनीकी कन्सलटेंसी व्यय			
6	पेटेन्ट एजेन्ट कमीशन व्यय			
7	अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित यंत्र एवं साज सज्जा संबंधी व्यय			
8	पेटेंट शुल्क			
9	अन्य व्यय			
	योग			

स्थान :

दिनांक:

E

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
पंजीयन पत्र क्रमांक

(12)

"उपाबंध-4"
(नियम 5.1) 5.2
(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला.....

मेसर्स पता.....
..... द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2014 के अन्तर्गत
आवेदन दिनांक..... (अक्षरी)..... को प्राप्त हुआ है। प्रकरण का पंजीयन क्रमांक
..... है। भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें।

स्थान
दिनांक

E

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय
सील

प्रति,

.....
.....
.....

“उपाबंध 5”

(नियम 5.3)

“छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2014” के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान आवेदन पर निरीक्षण प्रतिवेदन व अभिमत

निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

- 1-- औद्योगिक इकाई का नाम व पता -
- 2-- फैक्ट्री स्थल-
स्थान -
विकास खंड -
जिला -
- 3-- औद्योगिक इकाई का संगठन-
- 4-- उद्यमी का वर्ग-
- 5-- ई0एम0पार्ट-1 क्रमांकदिनांक
- एवं ई0एम0पार्ट-2 प्रमाण पत्र क्रमांक.....दिनांक
- 6-- वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक-
6.1 उत्पाद
6.2 वार्षिक उत्पादन क्षमता
6.3 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक -
6.4 स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में) -
- 7-- पेटेन्ट प्राप्त करने / अनुसंधान स्वीकृति संबंधी विवरण व पंजीयन क्रमांक-
- 8-- पेटेन्ट प्राप्त करने पर / अनुसंधान स्वीकृति किया गया व्यय-
- 9-- उद्योग वर्तमान में चालू/ बंद है ।
- 10-- रोजगार-

श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4
अकुशल वर्ग			
अ			
ब			
स			
कुशल वर्ग			
अ			
ब			
स			
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग			
अ			
ब			
स			
योग			

D

11- औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त पेटेन्ट / अनुसंधान का प्रयोग औद्योगिक इकाई के उद्योग में निर्मित उत्पाद / उत्पादन प्रक्रिया में होने बाबत टीप

12- औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त किये गये तकनीकी पेटेन्ट अनुदानपर की गई व्यय राशि मेंरु. मान्य है। अमान्य की गई राशि व उसका कारण निम्नानुसार है :-

1-

2-

3-

4-

2

13 अभिमत एवं अनुशसा :

स्थान

दिनांक

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के

हस्ताक्षर

नाम

पद

